

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 115/2017 ::

अपीलांट :-	बनाम	रेस्पोजेन्ट :-
मालाराम पुत्र कुपाराम जाति जणवा चौधरी निवासी, देवतरा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली		राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री लक्ष्मण चौधरी
रेस्पोजेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

--: निर्णय :-

दिनांक :- 23/10/18

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 28/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम मालाराम आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध पेश की। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।


अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का देवतरा ने अपीलाण्ट को ग्राम देवतरा के खसरा नम्बर 173/1 रकबा 4.00 है. किस्म बारानी गै.मु. मैदान की भूमि में से 1.60 है. भूमि बाड़ व तार बन्दी कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रकरण संख्या 28/2017 कायम कर दिनांक 24.07.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। जिसका निर्णय उसी दिवस को अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 400/- रु. जुर्माना अधिरोपित किया तथा अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से भी दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है। वह उनके पिता द्वारा तामील किया गया है। वह और उसके पिता अलग-अलग रहते है तथा उक्त नोटिस के संबंध में उसके पिता ने उसे नहीं बताया इस प्रकार नोटिस प्रोपर तामील नहीं हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस के अदम तामील प्राप्त होने के बावजूद भी अपीलाण्ट को बिना सुनवाई, साक्ष्य का मौका दिए दिनांक 24.07.2017 को अपीलाण्ट के विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया। जो विधि विरुद्ध है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट के पूर्ववर्ती कब्जा कभी भी नहीं रहा है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को जैर अपील आराजी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए टी.पी. रिपोर्ट पेश कर दी तथा न ही अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी घोषित किए जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश किए, न ही अपीलाण्ट को पूर्ववर्ती अतिक्रमण करने पर बेदखल किए जाने बाबत कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान नहीं लिए गए जबकि सिविल कारावास जैसे कठोर निर्णय पारित किए जाने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान लिए जाने का आज्ञापक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

सुधीर कुमार शर्मा
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नियमों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई है एवं मातहत अदालत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह एक कम्प्यूटराईज प्रफोर्मा में किया गया है, जो विधी सम्मत नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। इस बाबत अपीलाण्ट द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उन्होंने जैर अपील गै.मु. खेल मैदान की भूमि से कब्जा खाली कर दिया है तथा जैर अपील आराजी भूमि व अप्रार्थी के माता सदी देवी की खातेदारी भूमि पास-पास होने से अपीलाण्ट द्वारा कब्जा कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अतः जैर अपील आदेश निरस्त फरमावें। अपीलाण्टगण को पुलिस द्वारा दिनांक 16.09.2017 को गिरफ्तार करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने नकलें प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है। जिसे अपील न्यायहित में अन्दर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय करावें।


सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि कि प्रथम दृष्टया अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जाने योग्य है। अपीलाण्टगण द्वारा ग्राम देवतरा के खसरा नम्बर 173/1 रकबा 4.00 है. किस्म बारानी गै.मु. मैदान की भूमि में से 1.60 है. भूमि बाड़ व तार बन्दी कर अतिक्रमण किया है। जिसकी पटवारी हल्का द्वारा टी.पी. रिपोर्ट पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा 1.60 है. के विस्तृत भू भाग पर अतिक्रमण किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटीस तलब किए जाने के बावजूद भी वह अनुपस्थित रहा। अतिक्रमित आराजी खेल मैदान होने से उसके हक में नियमन भी नहीं किया जा सकता है। तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जैर अपील आदेश पारित किया है वह न्यायोचित है। जिसे यथावत रखा जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में सिविल कारावास जैसे कठोर दण्डादेश पारित किए गए। इसलिए न्याय की दृष्टि से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील के गुणावगुण पर विवेचन किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्टगण द्वारा संवत् 2073 में ग्राम देवतरा के खसरा नम्बर 173/1 रकबा 4.00 है. किस्म बारानी गै.मु. मैदान की भूमि में से 1.60 है. भूमि बाड़ व तार बन्दी कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण किया है। इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर मातहत अदालत ने पत्रावली कायम कर अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के बावजूद मातहत अदालत द्वारा सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित किया गया। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलाण्ट को पूर्ववर्ती अतिक्रमण करने एवं बेदखल करने के संबंध में दस्तावेज भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा पुनः प्राप्त करने की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। जबकि अगर अपीलाण्ट द्वारा पूर्ववर्ती अतिक्रमण किया गया है तो उससे संबंधित दस्तावेज मातहत अदालत की पत्रावली में होना आज्ञापक है तथा मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी के बयान भी अंकित नहीं किए गए हैं। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधी सम्मत कार्यवाही नहीं कर सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित कर दिया। जो न्यायोचित नहीं है। वक्त बहस अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा जैर अपील गै.मु. खेल मैदान की भूमि कब्जा खाली कर दिया है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण था, जो अब उसके द्वारा मुक्त कर दिया गया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर मातहत अदालत द्वारा पारित सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।


जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सुमेरपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 28/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम मालाराम आदेश दिनांक 24.07.2017 में पारित तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश में अपीलाण्टगण द्वारा भूगती गई सजा के दिवसों को यथावत रखते हुए शेष दिवसों के लिए दी गई सजा को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील भूमि से बेदखल करने एवं 400/- रुपये जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र में जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटा लेने का उल्लेख किया है लेकिन आईन्दा राजकीय भूमी पर अतिक्रमण नहीं करने का उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को आईन्दा जैर अपील आराजी पर या अन्य सरकारी भूमी पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु आदेशित किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकर्ड तहसीलदार, सुमेरपुर को पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
पाली (राज.)

